कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

सर्किट हाउस के पास, जयपुर रोड़, सीकर–332001

ई–मेल uit.sikar@rajasthan.gov.in, फोन नं. 01572–245057

क्रमांकः– नविन्यास / नियमन / 2025 / 00860 दिनांकः– 01.05.2025

प्रेषितीः–

प्रमोद कुमार सिंघानिया पुत्र श्री बालचन्द सिंघानिया,
जाति महाजन निवासी 166बी, हरीराम बहड़ मार्ग,
पोलो ग्राउण्ड, तह. व जिला सीकर।

विषयः– राजस्व ग्राम नाथावतों की ढ़ाणी तह. सीकर ग्रामीण के खसरा नम्बर 655 / 489 0.5620 है. भूमि पर साकेत नन्द सिटी फैज–2 आवासीय योजना के अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम नाथावतों की ढ़ाणी तह. सीकर ग्रामीण के खसरा नम्बर 655 / 489 0.5620 है. भूमि पर साकेत नन्द सिटी फैज–2 आवासीय योजना को टाउनशिप पॉलिसी 2010 की पालना सुनिश्चित करते हुए निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1. रेरा (RERA) में रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय / बेचान किया जावे।
2. योजना संलग्न अनुमोदित मानचित्रानुसार ही विज्ञ तकनिकीविद की देख–रेख में विकसित की जावेगी। सर्वप्रथम अनुमोदित प्लान अनुसार सम्पूर्ण योजना के चारों और सुरक्षा दिवार बनायी जाकर न्यास को सूचित करना होगा।
3. समस्त विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किये जाने होगें तथा नियमों की कठोरता से पालना की जानी आवश्यक है।
4. अनुमोदित योजना में सीसी सड़क निर्माण कार्य के लिए न्यास द्वारा जारी आदेश क्रमांक नविन्यास / विकास / 2024–25 / 232 दिनांक 15.01.2025 में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कार्य किया जाने की सुनिश्चितता करनी होगी।
5. वाटर ड्रेनेज, ओवर हैड टैंक एवं सीवरेज लाईन हेतु राशि न्यास कोष में जमा करवाई गई है।
6. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार 2.00 है. तक की योजनाओं के लिए 18 माह की अवधि आन्तरिक विकास कार्यों के लिए निर्धारित है।
7. योजना का अनुमोदित मानचित्र योजनास्थल पर बड़े पटल पर प्रदर्शित करना होगा।
8. भू–खण्डों का सीमांकन किया जाकर भू–खण्ड संख्या अंकित किया जाना होगा।
9. योजना में वृक्षारोपण भवन विनियम 2020 के अनुसार ही किया जाना होगा।
10. आन्तरिक विकास कार्यों के एवज में 12.50 प्रतिशत (भूखण्ड संख्या 01, 14, 15, 16, 20 व 26 कुल भू–खण्ड–06) भू–खण्डों का न्यास के पक्ष में रहननामा सम्पादित किया गया है एवं इस आशय का एक बोर्ड भी योजना में चस्पा किया जाना आवश्यक है।
11. विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 3 वर्ष तक Maintenance किया जाना आवश्यक होगा। (Maintenance charges may be recovered by developer from the allotees).
12. बोरिंग / ट्यूबवेल / पाईपलाईन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण (Hand over) किया जाना होगा।
13. योजना में विद्युतिकरण का कार्य स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रूल्स के निर्धारित मापदण्डानुसार किया जाकर ए.वि. वि.एन.एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।

संलग्नः– अनुमोदित योजना मानचित्र।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
सचिव
नगर विकास न्यास, सीकर

Signature valid
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Designation : Secretary
Date: 2025.05.01 18:43:59 IST
Reason: Approved

SAKET NAND CITY PHASE-2

LAYOUT PLAN OF KHASRA No. 655/489, AT VILL. NATHAWATO KI DHANI, DIST. SIKAR (RAJ.)
PURPOSE :- RESIDENTIAL SCHEME
APPLICANT :- PRAMOD KUMAR SINGHANIA S/o BALCHAND SINGHANIA,
116 B, HARIRAM BAHAD MARG, POLO GROUND, SIKAR

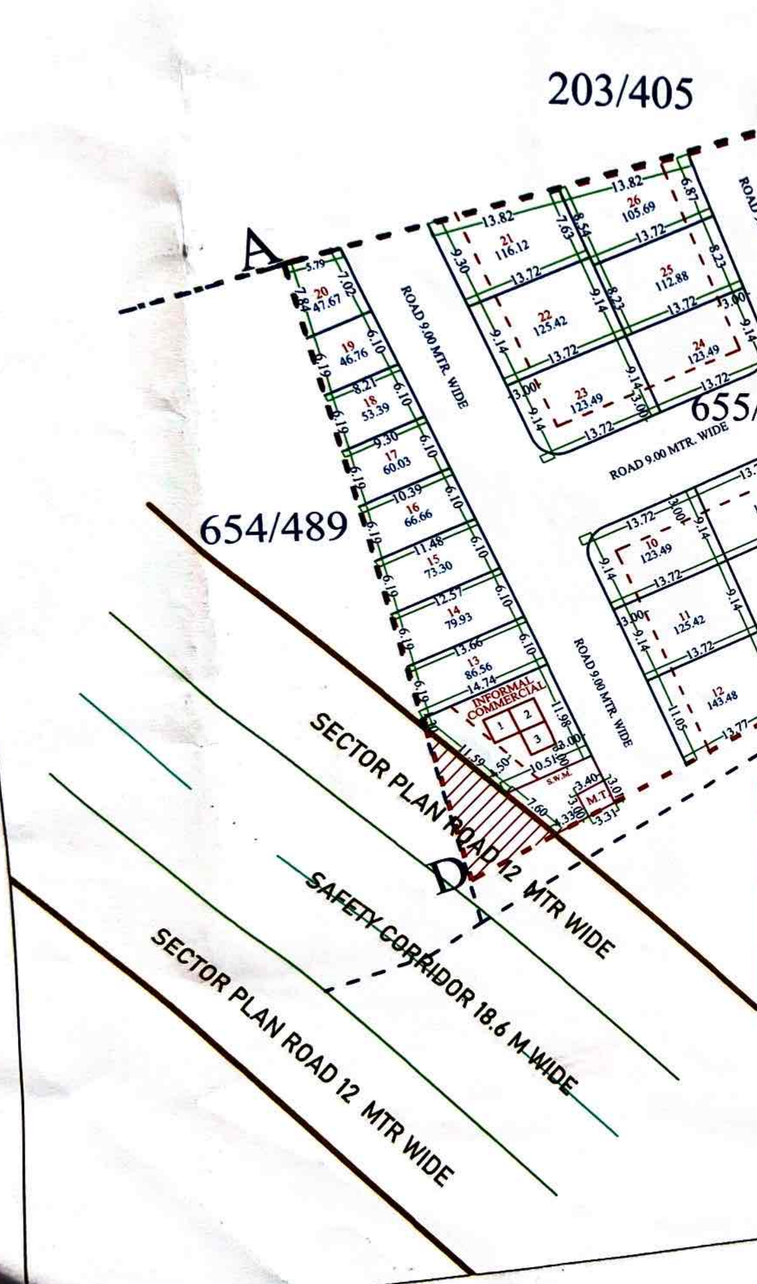

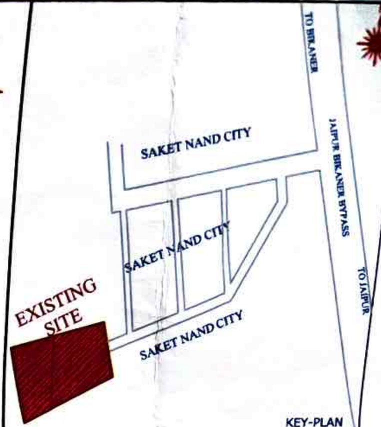

KEY-PLAN
not to scale

SURVEY WISE LAND USE DETAILS

S. No.	LAND USE	AREA (Sq. Mtrs.)	Percent
1.	RESIDENTIAL	3144.43	55.95%
2.	ROAD	2161.93	38.47%
3.	MOBILE TOWER	10.07	00.18%
4.	INFORMAL COMMERCIAL	155.34	02.76%
5.	SURRENDER IN ROAD	97.67	01.74%
5.	S.W.M.	50.56	00.90%
	TOTAL AREA	5620.00	100.00%

SCHEME PLOTS DETAIL

1.	PLOTS	NO.
2.	RESIDENTIAL	30
3.	INFORMAL COMMERCIAL	03
4.	MOBILE TOWER	01

Symbol	Legend
— — — —	SCHEME BOUNDARY
— — — —	KHASRA LINE
———	PLOT BOUNDARY
▨	SURRENDER IN ROAD

रिपोर्ट राजस्व शाखा
इस ले आउट प्लान में योजना सीमा से प्रदर्शित क्षेत्र ABCD का राजस्व नक्शे से मिलान किया गया जो लगभग अनुरूप है।
न्यास ILR

GOOGLE IMAGE

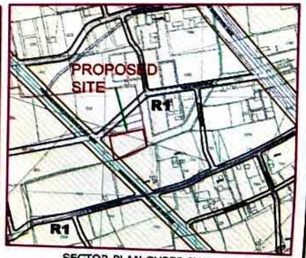

SECTOR PLAN SUPER IMPOSED

साकेत नन्द सिटी फेज–2 आवासीय योजना का ले–आउट आज दिनांक 27/3/25 को ले–आउट कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

SCALE - 1CM= 6 MTR.

NOTE: ALL DIMENSIONS ARE IN METER

27/3/25 उप नगर नियोजक न.वि. न्यास, सीकर	27/3/25 बी. एल. शर्मा	27.3.2025 सचिव नगर विकास न्यास, सीकर	SURVEYED BY : SATYAM ASSOCIATE, 10 GOVIND DEV MARKET, Nr. CHANDPOL GATE, SIKAR(RAJ.) CELL:- 9829251176, 9887007419